6

अवकाश

विषय सूची			
क्रं0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 168 / XXVII(7)34(1) / 2009 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2017	209–210
2	राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 03 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 213 / XXVII(7)50(24) / 2016 दिनांक : 21 सितम्बर, 2016	211
3	राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 210 / XXVII(7)50(24) / 2016 दिनांक : 15 सितम्बर, 2016	212
4	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्त्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में	सं0 190 / XXVII(7)34(1) / 2009 दिनांक : 12 सितम्बर, 2016	213–214
5	राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 196 / XXVII(7)50(24) / 2016 दिनांक : 05 सितम्बर, 2016	215
6	सरोगेसी के माध्यम से (Surrogate Mother) बच्चा प्राप्त करने वाली माता को प्राकृतिक माता की तरह मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाना।	सं0 269 / XXVII(7)34 / 2010–11 दिनांक : 06 दिसम्बर, 2014	216
7	उत्तराखण्ड राज्य सरकार में कार्यरत विवाहित पुरूष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 819 / XXVII(7)34 / 2010–11 दिनांक : 31 दिसम्बर, 2013	217–221

(209)

संख्या– \ /XXVII(7)34(1)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक : 10 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2017

विषय : महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13018/1/2009–स्थापना (छुट्टी) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौलिक रूप से नियुक्त (substantive appointment) स्थायी/अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) ऐसे महिला सरकारी सेवक, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को पूरे सेवाकाल में एक बार अधिकतम 180 दिन के 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा, जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

(3) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।

(4) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रक्रिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(210)

(5) यदि किसी महिला सरकारी सेवक के शिशु गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित संतानें हों, तो उन्हें 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(6) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत केवल वैधानिक (valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

(7) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

(8) 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संगत अवकाश नियमों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–168/XXVII(7)34(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(211)

संख्या–२१३/XXVII(7)50(24)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक२१ सितम्बर, 2016

विषयः राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 03 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 210/XXVII(7)50(24)/2016 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजकीय शिक्षकों को अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन को यथावत् रखते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर दिनांक 17 सितम्बर, 2016 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 में राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, को प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश के स्थान पर प्रतिवर्ष 03 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य किये जांय।

3– उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2016 एवं दिनांक 15 सितम्बर, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।
0/C

संख्या–२१३ /XXVII(7)50(24)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।
0/C

(212)

संख्या–210 /XXVII(7)50(24)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2016

विषयः राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 196/XXVII(7)48(146)/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजकीय शिक्षकों को अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन के स्थान पर 46 दिन निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2016 में राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, उन्हें अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन पूर्ववत् रखते हुए उन्हें प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य किये जांय।

3– उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /XXVII(7)50(24)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(213)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– \ /XXVII(7)34(1)/2009
देहरादून : दिनांक 12 अगस्त, 2016
सितम्बर,

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अस्थायी/स्थायी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(214)

संख्या– 190 / XXVII(7)34(1) / 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(215)

संख्या– 196/XXVII(7)50(24)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर, 2016

विषयः **राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या महानिदे0/7580/रा0शि0सं0/2015–16 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय शिक्षकों को एक कलैण्डर वर्ष में 01 उपार्जित अवकाश के स्थान पर 03 उपार्जित अवकाश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्तीय हस्तपुस्तिका के सहायक नियम 143 के अनुसार शिक्षा विभाग के विद्यालयों को दीर्घावकाश विभाग (Vacational Department) की श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय नियम 81–ख (1) (ग्यारह) के अनुसार किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक को उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि की ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीस दिन तक कम कर दी जायेगी। इस प्रकार उनके द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में अर्जित 31 दिन के अवकाश में से 30 दिन का अवकाश घटाते हुए उन्हें 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है। वर्तमान में राजकीय शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में 48 दिन का दीर्घावकाश अनुमन्य है तथा वित्तीय नियमों के आलोक में उन्हें एक कलैण्डर वर्ष में 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है।

3. शिक्षक संघों की मांगों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, उन्हें अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन के स्थान पर 46 दिन निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये जांय। अनुपभुक्त (Unutilized) विशेष अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा। उक्त अनुपभुक्त (Unutilized) विशिष्ट अवकाश नगदीकरण हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 196/XXVII(7)50(24)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(216)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– / /XXVII(7)34/2010–11
देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2014

विषयः– सरोगेसी के माध्यम से (Surrogate Mother) बच्चा प्राप्त करने वाली माता को प्राकृतिक माता की तरह मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाना।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 180 दिन का प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया हैं। सरोगेसी के माध्यम से किसी बच्चे का जन्म होने पर नियमों में मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

2– अतः शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार महिला सरकारी सेवकों को देय 180 दिनों के प्रसूति अवकाश सुविधा का लाभ सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने वाली माता को भी दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों(यू0जी0सी0ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होंगी।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–269 (1) /xxvii(7)34/2010-11 तददिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून ।
3. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, 21 बारा–खम्बा रोड़, नई दिल्ली।
7. अपर सचिव, आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(217)

संख्याः- 819 /xxvii(7)34/2010-11

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादूनः दिनॉकः 31 दिसम्बर, 2013

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य सरकार में कार्यरत विवाहित पुरूष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या-1308/1/97-इएसटीटी(एल0) दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 एवं संख्या-1308/2/98-इएसटीटी(एल0) दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा भारत सरकार के पुरूष कार्मिकों को अधिकतम दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा-बच्चा की देखभाल हेतु 15 दिन के पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य सरकार में भी कार्यरत् विवाहित पुरूष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. एक पुरूष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की तिथि से छः माह तक, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिन की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
2. 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे, अवकाश पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जायेगा।
3. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।
4. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अवकाश खाते के नामे नहीं डाला जायेगा।
5. यदि पितृत्व अवकाश, उप नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।

टिप्पणीः- "सामान्यतः पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।"

Bhaskar

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या 819 (1)/XXVII(7)34/2010–11 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(219)

MOST IMMEDIATE

No. 13018/1/97-Estt.(L)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training)
.....

NEW DELHI, Dated 7th October, 1997.

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Recommendations of the Fifth Central Pay Commission relating to enhancement of quantum of MATERNITY LEAVE and to allow PATERNITY LEAVE in respect of Central Govt. Employees.

The undersigned is directed to say that consequent upon the decisions taken by the Govt. on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission relating to Maternity Leave and Paternity Leave, the President is pleased to decide that the existing provisions of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, may be treated as modified as follows in respect of civilian employees of the Central Govt. :-

The existing ceiling of 90 days maternity leave provided in Rule 43(1) ibid shall be enhanced to 135 days.

A male Govt. servant (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted Paternity Leave for a period of 15 days during the confinement of his wife. During the period of such leave, he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. Paternity Leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave (as in the case of Maternity Leave). It may not normally be refused under any circumstances.

2. These orders take effect from the date of issue.

3. In the light of paragraph 2 above, a female Govt. servant in whose case the period of 90 days of Maternity Leave has not expired on the said date shall also be entitled to the Maternity Leave of 135 days. Similarly, Paternity Leave to a male Govt. employee may also be allowed in case his wife had given birth to the child on a date not prior to 135 days from the date of issue of this order.

4. Formal amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, are being issued separately.

5. In so far as persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is enclosed.

(B. GANGAR)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India.
Endorsements as per standard list.

(220)

संख्या-13018/2/98-स्था0(छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 16 , 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पितृत्व-अवकाश की स्वीकृति एवं प्रसूति-अवकाश की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को प्रसूति-अवकाश की अवधि बढ़ाकर 135 दिन कर दिए जाने और 15 दिन का पितृत्व-अवकाश स्वीकृत किए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 07.10.97 के का0ज्ञा0सं0-13018/1/97-स्था0(छुट्टी) का हवाला देते हुए यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस बारे में राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए अब से पितृत्व-अवकाश किसी प्रशिक्षु सहित, दो से कम जीवित बच्चों वाले किसी भी पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपनी पत्नी के प्रसव-काल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा छः माह की अवधि के भीतर लेने दिया जाए और यदि ऐसा अवकाश इस अवधि के दौरान नहीं ले लिया जाए तो उसे व्यपगत (लैप्स) हुआ मान लिया जाए ।

2. ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. यह भी तय किया गया है कि पितृत्व-अवकाश केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी लेने दिया जाए जिसने इस विभाग के दिनांक अक्तूबर 07, 1997 के आदेश के उपबंधों के तहत अपने बच्चे के जन्म के 135 दिन के भीतर ऐसे अवकाश की स्वीकृति के लिए आवेदन कर दिया हो परन्तु जिसे उक्त आदेश के समय पर नहीं मिल पाने के कारण उपर्युक्त अवकाश नहीं लेने दिया गया हो । अब ऐसे मामलों में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 45 दिन के अंदर एक बारगी कार्रवाई-स्वरूप 15 दिन का पितृत्व-अवकाश एक बार में ही ले लेने दिया जाए ।

....2/-

221

4. दिनांक अक्तूबर 07, 1997 के आदेशों के अनुसार, बढ़ाकर 135 दिन का किया गया प्रसूति-अवकाश किसी ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी को भी ले लेने दिया जाना था जिसका 90 दिन का प्रसूति-अवकाश उपर्युक्त तारीख को समाप्त नहीं हुआ हो । ऐसे मामलों में 135 दिन के प्रसूति-अवकाश में से नहीं लिया गया शेष अवकाश उस महिला सरकारी कर्मचारी को भी ले लेने दिया जाए जिसने ऐसे अवकाश के लिए आवेदन किया हो परन्तु उपर्युक्त आदेश समय पर नहीं मिल पाने के कारण उसे उपर्युक्त अवकाश लेने नहीं दिया गया हो । इस तरह के मामलों में, इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के अंदर किसी महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रसूति-अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में उसे, उसके द्वारा पहले से ही ले लिए गए उसके छुट्टी खाते में बकाया और देय किसी भी तरह के अवकाश को प्रसूति-अवकाश में परिवर्तित करके अथवा 45 दिन का और प्रसूति-अवकाश, एक बारगी कार्रवाई-स्वरूप स्वीकृत करके ले लेने दिया जाए ।

5. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा-विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

जे विल्सन

(जे0 विल्सन)
भारत-सरकार के उप-सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।